

मुन्तकिली प्रकरण सं० 61/2016 अनवानी भीमसिंह पुत्र भैरों सिंह जाति राजपूत
निवासी 5 एसटीबीए तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1-उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर 2-पृथ्वीराम 3-दलीपकुमार पुत्रगण 4-बभुलादेवी पत्नि रामकरण
जाति मेघवाल नि० 7 बीएलडीए(बी) तहसील श्रीविजयनगर 5-तहसीलदार
श्रीविजयनगर



21.09.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगणा के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर में लंबित राजस्व प्रकरण सं० 38/2016 अनवानी भीमसिंह बनाम पृथ्वीराज वगैरा व प्रार्थना पत्र सं० 56/2016 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रार्थीगण अब इस मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते है और नॉट प्रैस करते है। अतः मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

चूंकि प्रार्थीगण मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते है और नॉट प्रैस किया है। इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1672
26/9/16